

भारतीय दलित आंदोलन में डॉ. भीमराव अंबेडकर की भूमिका

संतोष कुमार¹, डॉ. रअफत अफरोज²

¹ शोधाधीन, राजनीति शास्त्र विभाग, श्री सत्यसाई विश्वविद्यालय पचामा सीहोर, मध्य प्रदेश, भारत

² निर्देशिका, राजनीति शास्त्र विभाग, श्री सत्यसाई विश्वविद्यालय पचामा सीहोर, मध्य प्रदेश, भारत

सारांश

डॉ. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारतीय इतिहास के प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे। जिन्होंने उपेक्षितों, शोषितों, दलितों, पिछड़ों, पीड़ितों में सम्मानपूर्वक जीने की ललक जगाई। हजारों सालों से हो रहे शोषण और दमन के कारण, मानसिक रूप से मृत पड़ी जमात के मन में अपने अधिकारों के प्रति जो बिगुल फूका था, वह कारवां बनकर निरंतर बढ़ता जा रहा है।

भारत देश को आजादी प्राप्त होने के बाद उन्होंने कहा था, "हम ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें हम राजनैतिक रूप से तो बराबर हैं, लेकिन सामाजिक रूप से बराबर नहीं हैं।" उनकी यह बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, जितनी उस समय थी। जातिवादी ज़हर ने हमारे भारतीय समाज को बुरी तरह जकड़ लिया है। इस कारण दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों पर आए दिन अत्याचार होता रहता है, जिसके कारण एक बड़ी जनसंख्या जिल्लत की जिंदगी जीने के लिए अभिशप्त है।

डॉ. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय समाज व्यवस्था का गहन अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि भारत को कमजोर बनाने, इसकी विकास की धारा अवरुद्ध करने तथा सामाजिक सौहार्द्र में सबसे बड़ी बाधा भेदभावपूर्ण जाति व्यवस्था ही है। उनके समय देश में जातिप्रथा, जिसका सबसे अमानवीय रूप छुआछूत था, आज से कहीं अधिक विद्यमान थी। आज आजादी के 70 साल बाद भी, वह कुछ पुराने रूप में और कुछ रूप बदलकर हमारे समाज में मौजूद है। जाति-व्यवस्था के रूप में, भारतीय समाज में शोषण को सामाजिक और धार्मिक मान्यता प्राप्त रही है, जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी स्वयं भी भोगा था। इसलिए उन्होंने इस अमानवीय व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई अपने जीवन भर जारी रखी।

भारतीय जाति व्यवस्था को समझने और उसके उन्मूलन के लिए उनकी पुस्तकें अछूत कौन और कैसे, शूद्रों की खोज, काँग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, जातिभेद का बीज आदि प्रमुख हैं। इन पुस्तकों में उन्होंने बताया कि जातिभेद की नींव में धार्मिक ग्रंथ हैं, जिनको सामाजिक मान्यता प्राप्त है। सामाजिक क्रांति के उद्देश्य से ही उन्होंने धार्मिक सामाजिक कानून की किताब मनुस्मृति को 25 दिसम्बर, 1927 को अपने समर्थकों के साथ मिलकर दहन किया। उन्होंने कहा मनुस्मृति अस्पृश्यों और महिलाओं की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक दासता का एक मुख्य कारण है।

मूल शब्द: भारतीय दलित आंदोलन, शोषण और दमन, जाति व्यवस्था, छुआछूत

डॉ. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारतीय इतिहास के प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे। जिन्होंने उपेक्षितों, शोषितों, दलितों, पिछड़ों, पीड़ितों में सम्मानपूर्वक जीने की ललक जगाई। हजारों सालों से हो रहे शोषण और दमन के कारण, मानसिक रूप से मृत पड़ी जमात के मन में अपने अधिकारों के प्रति जो बिगुल फूका था, वह कारवां बनकर निरंतर बढ़ता जा रहा है।

भारत देश को आजादी प्राप्त होने के बाद उन्होंने कहा था, "हम ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें हम राजनैतिक रूप से तो बराबर हैं, लेकिन सामाजिक रूप से बराबर नहीं हैं।" उनकी यह बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, जितनी उस समय थी। जातिवादी ज़हर ने हमारे भारतीय समाज को बुरी तरह जकड़ लिया है। इस कारण दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों पर आए दिन अत्याचार होता रहता है, जिसके कारण एक बड़ी जनसंख्या जिल्लत की जिंदगी जीने के लिए अभिशप्त है।

जाति उन्मूलन के लिए प्रयास

डॉ. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय समाज व्यवस्था का गहन अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि भारत को कमजोर बनाने, इसकी विकास की धारा अवरुद्ध करने तथा सामाजिक सौहार्द्र में सबसे बड़ी बाधा भेदभावपूर्ण जाति व्यवस्था ही है। उनके समय देश में जातिप्रथा, जिसका सबसे अमानवीय रूप छुआछूत था, आज से कहीं अधिक विद्यमान थी। आज आजादी के 70 साल बाद भी, वह कुछ पुराने रूप में और कुछ रूप बदलकर हमारे समाज में मौजूद है। जाति-व्यवस्था के रूप में,

भारतीय समाज में शोषण को सामाजिक और धार्मिक मान्यता प्राप्त रही है, जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी स्वयं भी भोगा था। इसलिए उन्होंने इस अमानवीय व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई अपने जीवन भर जारी रखी।

भारतीय जाति व्यवस्था को समझने और उसके उन्मूलन के लिए उनकी पुस्तकें अछूत कौन और कैसे, शूद्रों की खोज, काँग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, जातिभेद का बीज आदि प्रमुख हैं। इन पुस्तकों में उन्होंने बताया कि जातिभेद की नींव में धार्मिक ग्रंथ हैं, जिनको सामाजिक मान्यता प्राप्त है। सामाजिक क्रांति के उद्देश्य से ही उन्होंने धार्मिक सामाजिक कानून की किताब मनुस्मृति को 25 दिसम्बर, 1927 को अपने समर्थकों के साथ मिलकर दहन किया। उन्होंने कहा मनुस्मृति अस्पृश्यों और महिलाओं की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक दासता का एक मुख्य कारण है। यह घटना भारतीय इतिहास में एक क्रान्तिकारी महत्व रखती है।

शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो की प्रेरणा

बाबासाहब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने भारतीय समाज के शोषितों, पीड़ितों, दलितों और पिछड़ों को आह्वान करते हुए कहा—“शिक्षित बनो! संगठित बनो! संघर्ष करो!” उन्होंने सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि इसे अंजाम देने के लिए संस्थाओं और संगठनों का भी निर्माण किया। उनके द्वारा स्थापित संगठन और संस्थाएँ हैं। सन् 1924 में बनी बहिष्कृत हितकारिणी सभा, सन् 1927 में समता सैनिक दल, सन् 1928 में डिप्रेसड क्लासेस

एजुकेशन सोसायटी, सन् 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी, सन् 1942 में अनुसूचित-जाति फेडरेशन, भारतीय बौद्ध महासभा आदि। इन संगठनों के माध्यम से उन्होंने लोगों को शिक्षित और संगठित करने का महती काम किया। उन्होंने पीपुल्स एजुकेशनल सोसाइटी के अंतर्गत 1946 में, बंबई में सिद्धार्थ महाविद्यालय और 1950 में औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की। इसके साथ ही 1953 में, बंबई में सिद्धार्थ वाणिज्य और अर्थशास्त्र महाविद्यालय एवं बंबई में, सिद्धार्थ विधि महाविद्यालय की स्थापना की। शिक्षा से सालों तक उपेक्षित समुदाय को शिक्षा का महत्त्व बताते हुए उन्होंने कहा— “शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे जो पिएगा वह दहाड़ेगा।”

सामाजिक आंदोलन

समाज सुधारक रायबहादुर सीताराम केशव के प्रयासों से 4 अगस्त 1923 को बंबई विधान परिषद में एक प्रस्ताव पास हुआ, जिसके अनुसार अछूतों, दलितों, पिछड़ों को सार्वजनिक जगहों का उपयोग करने की उन्हें अनुमति मिल गई। कानूनी अधिकार मिलने के बावजूद भी तथाकथित उच्च कहलाने वाली कुछ जातियों के लोगों ने, इसे स्वीकार नहीं किया। महाड़ नामक बस्ती में चवदार तालाब के पानी का उपयोग अछूतों ने भी करना चाहा, लेकिन महाड़ बस्ती के सवर्ण इसके विरुद्ध थे। महाड़ के दलित कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब को इस प्रकार के व्यवहार के बारे में बताया। 19.20 मार्च 1927 में बाबा साहब के नेतृत्व में दलितों ने इसके विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया। बड़ी संख्या में सामाजिक न्याय की आस में लोग इकट्ठा हुए और तालाब के पानी को पी लिया। जिस पानी को कुत्ते बिल्ली पी सकते थे, जानवर उसमें नहा सकते थे, उस पानी को दलित छू भी नहीं सकते थे। मानवीय गरिमा का इतना पतन! इस कारण बाबा साहब बड़े चिंतित और दुखी हुए। उनके दुखित मन के तूफान ने उन्हें 26 जून 1927 को “बहिष्कृत भारत” में यह घोषणा करने को मजबूर किया, “अछूत समाज हिन्दू धर्म के अंतर्गत है या नहीं” इसका हमेशा के लिए फैसला होना चाहिए।”

दरअसल, अछूत समाज सिर्फ कहने के लिए हिन्दू था। उसे समाज में देवी-देवताओं के मंदिर में जाने तक की अनुमति नहीं थी। इसका असर हम आज आज़ादी मिलने के 70 साल बाद भी देखते हैं जो कभी अखबारों में सुर्खियां बन जाती है और कभी-कभी गांव-समाज में ही दबकर रह जाती है। ऐसे समय में डॉ. बाबा साहब भीमराव आंबेडकर के नेतृत्व में नासिक के “कालाराम मंदिर” दर्शन के लिए दलितों ने आन्दोलन प्रारंभ किया। हज़ारों की संख्या में दलित मंदिर परिसर के पास पहुंचे और वहां के कर्मचारियों ने मंदिर के दरवाज़े बंद कर लिए। एक महीने के लिए दरवाज़े बंद रहे, लेकिन रामनवमी के दिन हर साल की तरह मूर्ति को रथ में बिठाकर जुलूस निकालना था। इसलिए मजिस्ट्रेट के सामने समझौता हुआ कि दलित और सवर्ण दोनों मिलकर जुलूस निकालेंगे, कई दिनों के पश्चात् कालाराम मंदिर कानून बना और दरवाज़े दलितों के लिए खोल दिए गए।

गोलमेज सम्मेलन और पूना पैक्ट

गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। कांग्रेस के नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस के बीच समझौता हुए बिना ही अन्य नेताओं और रियासतों के सहयोग से लंडन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रम्जे मॉक्डोनाल्ड की अध्यक्षता में 12 नवंबर 1930 को प्रारंभ हुआ। वायसराय के निमंत्रण पर डॉ. भीमराव अम्बेडकर दलित नेता की हैसियत से गोलमेज परिषद में शामिल हुए। सभी नेताओं ने अपने-अपने पक्ष रखे उनमें से डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने बड़ा ही ध्यान आकर्षित करने वाला भाषण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा— “मैं जिन अछूतों के प्रतिनिधि की हैसियत से यहां

उपस्थित हूँ” उनकी स्थिति गुलामों और पशुओं से भी बदतर है। पशुओं को तो, उनके मालिक छूते हैं, पर हमें तो छूना भी पाप समझा जाता है। हमारी स्थिति जो पहले थी, वैसी ही ब्रिटिश राज में है। हमें हमारे हाथों में राजनीतिक सत्ता चाहिए कि हम अपना दुःख स्वयं दूर करें।”

डॉ. अम्बेडकर के भाषण से सभी प्रभावित हुए। उन्होंने दलितों के लिए पृथक चुनाव, पृथक निर्वाचन संघ एवं सुरक्षित सीटों तथा नौकरियों में प्रवेश की मांग की। इस सम्मेलन में हिन्दू-मुस्लिम समझौता न बन सका और सम्मलेन समाप्त हो गया।

5 मार्च 1931 को गांधी-इरविन समझौता हुआ, सविनय-अवज्ञा आन्दोलन स्थगित कर दिया और गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाना स्वीकार किया। 7 सितम्बर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की, लेकिन गांधी जी दलितों के पृथक निर्वाचन के लिए सहमत नहीं थे, जबकि सिक्खों, मुस्लिमों, ईसाईयों के पृथक निर्वाचन के लिए तैयार थे। उनका इसमें तर्क था कि इससे हिन्दू समाज बिखर जाएगा।

20 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा “सांप्रदायिक निर्णय” घोषणा हुई, जिसमें दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला और साथ में आम-निर्वाचन में भी मत देने एवं उम्मीदवार होने का अधिकार दिया गया। गांधी जी ने दलितों के पृथक निर्वाचन के विरोध में यरवदा सेन्ट्रल जेल में ब्रिटिश प्रधानमंत्री को सूचित कर आमरण उपवास 20 सितंबर 1932 से प्रारंभ कर दिया। डॉ. भीमराव अम्बेडकर पर लोगों द्वारा चारों तरफ से दबाव बनने लगाए साथ ही उन्हें गांधी जी के प्राणों की चिंता थी। नेताओं के सहयोग से गांधी और अम्बेडकर में दलितों की सुरक्षित सीटों, आरक्षणद्ध को लेकर समझौता हुआ। पूना-पैक्ट के अनुसार दलितों को “सांप्रदायिक निर्णय” से दुगुनी सीटें मिली और यहीं से आरक्षण की नींव पड़ गई। लेकिन दलितों को इसका एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, और वह यह कि उन्हें पृथक निर्वाचन से हाथ धोना पड़ा जिसका खामियाजा वे आज भी भुगत रहे हैं। दलितों के नेता चुनकर तो जाते हैं, लेकिन दलितों के सच्चे हितैषी नहीं होते। पृथक निर्वाचन न मिलने के कारण डॉ. भीमराव आंबेडकर को भी चुनाव में हारना पड़ा था।

बौद्ध धम्म की राह पर

हिन्दू धर्म में दलितों और पिछड़ों के प्रति हिंसक व्यवहारों तथा शोषण एवं दमनकारी नीतियों से तंग आकर उन्हें सन् 1935 में कहना पड़ा, “मैं हिन्दू धर्म में पैदा अवश्य हुआ हूँ लेकिन इस धर्म में रहते हुए मरूंगा नहीं।” धर्म परिवर्तन की घोषणा सुनकर इस्लाम, सिक्ख, ईसाई तथा जैन धर्म के धर्म गुरुओं ने बाबा साहब को अपने-अपने धर्म ग्रहण करने का आग्रह किया। लेकिन वे किसी के भी प्रलोभन में नहीं आए। उनका तर्क था कि धर्मान्तरण किसी आर्थिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि विशुद्ध आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए होता है। बहुत ही सोच विचार कर, पहले वह सिक्ख धर्म की ओर झुके, लेकिन अंत में उन्होंने बुद्ध के मार्ग पर चलना उचित समझा। जीवन के अंतिम दिनों में अपने अनुयाइयों को बौद्ध धर्म की शिक्षा समझाने के लिए एक वृहत ग्रन्थ “बुद्धा एंड हिज धम्मा” की रचना की, जो भारतीय बौद्धों में विशेष रूप से लोकप्रिय है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने आजीवन अछूतों के अधिकार की लड़ाई लड़ी। वे हमेशा अपने निजी जीवन की परेशानियों को भूलकर दलितों, पिछड़ों, महिलाओं और वंचित समुदायों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत रहे।

आज उन्हें विश्व के सबसे बड़े संविधान के निर्माता और “सिम्बल ऑफ नॉलेज” के नाम से जाना जाता है। कहते हैं, 21वीं सदी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की है। उनके लोकतान्त्रिक

विचारों का असर समाज में, दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आज डॉ. भीमराव अम्बेडकर का भारतीय समाज में वंचितों के सम्मान की लड़ाई शुरू करने के उनके अभूतपूर्ण योगदान के लिए, वे दलितों और पिछड़ों के लिए एक सूर्य समान हैं, जिनसे वे रोशनी, जीवन और उर्जा प्राप्त करते हैं।

समय बीतने के साथ-साथ बाबासाहेब अम्बेडकर के विचारों की प्रासंगिकता बढ़ती ही जा रही है। दलितों तथा गैर दलितों के बीच उनकी तरह-तरह से व्याख्या की जा रही है। अम्बेडकर के विचारों के तीन प्रमुख स्रोत थे। पहला उनका अपना अनुभव, दूसरा-महात्मा ज्योतिबा फूले का सामाजिक आंदोलन तथा तीसरा-बुद्धिज्म। इन स्रोतों की जड़ में भारत की अमानवीय जाति व्यवस्था थी। डॉ. अम्बेडकर को भी छुआछूत तथा जातीय घृणा का शिकार होना पड़ा था, जिससे खिन्न होकर उन्होंने इसे खत्म करने का अभियान चलाया। उन्होंने जाति व्यवस्था की ईश्वरीय अवधारणा का तीखा विरोध किया और इसे मानव निर्मित बताया। इस संदर्भ में उनके महात्मा गांधी से वैचारिक मतभेद उभर कर सामने आए। गांधीजी कहते थे कि छुआछूत मानव की देन है इसलिए मानव प्रदत्त छुआछूत से तो लड़ना चाहिए, जबकि ईश्वरीय जाति व्यवस्था के विरुद्ध आवाज नहीं उठानी चाहिए। गांधीजी की इस ईश्वरीय अवधारणा के विरुद्ध अम्बेडकर चट्टान की तरह खड़े हो गए। यद्यपि छुआछूत निवारण के अभियान में गांधीजी की भूमिका की अनदेखी नहीं की जा सकती, लेकिन उनकी ईश्वरीय अवधारणा की दलितों ने तीव्र आलोचना की।

जाति की ईश्वरीय अवधारणा के चलते डॉ. अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था को हिंदू धर्म की प्राणवायु बताया और साफ शब्दों में कहा कि ऊंच-नीच के भेदभाव के चलते हिंदू धर्म कभी मिशनरी धर्म नहीं बन पाया, जबकि अन्य धर्म जैसे बौद्ध धर्म अनेक देशों की सीमा पार कर गए। जाति व्यवस्था विरोधी, अहिंसक तथा विश्वबुद्धत्ववादी होने के कारण डॉ. अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इन्हीं कारणों से उन्होंने बौद्ध धर्म को दलितों के लिए सबसे उचित धर्म बताया। संक्षेप में डॉ. अम्बेडकर का यही सामाजिक चिंतन था। संविधान के माध्यम से उन्होंने भारतीय जनतंत्र को विकासशील बनाया जिस कारण देश की एकता मजबूत हुई।

डॉ. अम्बेडकर का राजनीतिक चिंतन भी जाति व्यवस्था से उत्पन्न परिस्थितियों से प्रभावित हुआ था। वह 1920 के दशक से ही दलितों के लिए पृथक मतदान की मांग करने लगे थे। इसके पीछे उनका तर्क था कि ऐसा होने से जाति व्यवस्था के विरोध तथा दलितों के हित में काम करने वाले ही चुनकर विधानसभा तथा लोकसभा में पहुंच सकेंगे अन्यथा दलित स्थापित पार्टियों के दलाल बनकर रह जाएंगे। गांधीजी के प्रबल विरोध और आमरण अनशन के कारण पृथक मतदान की मांग वापस ले ली गई जिसके बदले मौजूदा आरक्षण व्यवस्था लागू हुई। यह व्यवस्था पूना पैक्ट के नाम से जानी जाती है। पूना पैक्ट का सबसे अधिक प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में पड़ा। लाखों की संख्या में दलित शिक्षित होकर हर श्रेणी की नौकरियों में शामिल हुए और उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की दिशा बदल दी। लेकिन आरक्षण नीति सही ढंग से लागू न होने के कारण दलित समाज का नुकसान भी हुआ है। डॉ. अम्बेडकर की आशंका सही सिद्ध हुई। विधानसभा तथा लोकसभा में चुने हुए प्रतिनिधि दलित मुक्ति के सवाल पर नकारात्मक भूमिका में आ गए।

सालों-साल चलती रही इसी भूमिका के कारण काशीराम की बहुजन समाज पार्टी का 1984 में उदय हुआ। काशीराम ने वर्तमान जनतांत्रिक प्रणाली में दलितों की भूमिका को "चमचा युग" बताया। इसलिए उन्होंने बसपा का जो वैचारिक आधार खड़ा किया वह डॉ. अम्बेडकर की आरंभिक राजनीतिक समझ यानी 1920 तथा 30 के दशक के विचारों पर आधारित है। यही कारण है कि उनके क्रियाकलाप में राजनीतिक तीखापान अधिक झलकता है। डॉ. अम्बेडकर 1920 तथा 30 के दशक में जाति

व्यवस्था के विरुद्ध उग्र रूप धारण किए हुए थे। बाद में उन्होंने सत्ता में भागीदारी के माध्यम से दलित मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने की कोशिश की। काशीराम ने "सत्ता में भागीदारी" को "सत्ता पर कब्जा" में बदल दिया। इस उद्देश्य से उन्होंने नारा दिया "अपनी-अपनी जातियों को मजबूत करो।" इस नारे के तहत सर्वप्रथम बसपा ने विभिन्न दलित जातियों का सम्मेलन करके उन्हें अपनी तरफ आकर्षित किया। साथ ही उसने पिछड़ी जातियों को अपनी तरफ लाने की कोशिश की जिसका परिणाम था बसपा का 1993 में समाजवादी पार्टी से समझौता। दो साल बाद इस गठबंधन के टूट जाने के बाद बसपा का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा तथा उसके सहयोग से मायावती तीन बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनीं। किंतु 2007 में उत्तर प्रदेश के पिछले आम चुनाव में मायावती के नेतृत्व में बसपा ने दलित-ब्राह्मण एकता के नारे के साथ बहुमत हासिल कर लिया। यह बहुमत प्रचंड जातीय ध्रुवीकरण के आधार पर मिला था। वैसे भी भारतीय चुनाव प्रणाली में हमेशा जातीय, क्षेत्रीय और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण आम प्रक्रिया का हिस्सा रही है। किंतु मंडल कमीशन के लागू होने के बाद जातीय ध्रुवीकरण बेहद उग्र रूप में जनता के समक्ष आया है। उत्तर प्रदेश में इस ध्रुवीकरण से बसपा को सबसे अधिक फायदा पहुंचा है, जिस कारण वह सत्ताधारी पार्टी बन गई।

इस संदर्भ में एक गंभीर सवाल यह उठता है कि जातीय ध्रुवीकरण के आधार पर चुनाव जीत कर सत्ताधारी तो बना जा सकता है, किंतु डॉ. अम्बेडकर की जाति-उन्मूलन की विचारधारा को मूर्त रूप नहीं दिया जा सकता। बुद्ध से लेकर अम्बेडकर तक ने जाति-विहीन समाज में ही दलित मुक्ति की कल्पना की थी, किंतु आज का भारतीय जनतंत्र पूर्णरूपेण जातीय, क्षेत्रीय एवं सांप्रदायिक जनतंत्र में बदल चुका है। ऐसा जनतंत्र राष्ट्रीय एकता के लिए वास्तविक खतरा है। डॉ. अम्बेडकर की उक्ति जातिविहीन समाज की स्थापना के बिना स्वराज प्राप्ति का कोई महत्व नहीं आज भी विचारणीय है।

संदर्भ ग्रंथसूची

1. एस० एल० सागर, हरिजन कौन और कैसे, सागर प्रकाशन मैनपुरी, उ प्र०, 2001, पृष्ठ 14
2. राजमोण शर्मा, दलित चेतना की कहानियाँ, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2008, पृष्ठ 110
3. भोलानाथ तिवारी, स्रोत, अवधेश नारायण मित्र, उत्तर संस्कृति, दलित विमर्श और निराला, किशोर विद्या निकेतन, वाराणसी, 2005, पृष्ठ 24
4. यशवंत रामकृष्ण दाते, महाराष्ट्र शब्दकोश, महाराष्ट्र को मण्डल लि० पुणे, 1935, पृष्ठ 1619
5. कँवल भारती, दलित साहित्य की अवधारणा, बोधिस्तव प्रकाशन, रामपुर, उ० प्र०, 2006, पृष्ठ
6. मुद्राराक्षस, नई सदी की पहचान श्रेष्ठ दलित कहानियाँ, लोक भारती प्रकाशन, इलाहबाद, 2004, पृष्ठ 6
7. सुभाष चन्द्र, दलित मुक्ति आंदोलन, आधार प्रकाशन पंचकूला, 2010, पृष्ठ 15
8. ओम प्रकाश बाल्मिकि, दलित साहित्य का सौंदर्यशास्त्र, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, 2001, पृष्ठ 09
9. प्रेमचन्द्र, गोदान, सरस्वती विहार, दिल्ली, 1987, पृष्ठ 244
10. ओम प्रकाश बाल्मिकि, दलित साहित्य का सौंदर्यशास्त्र, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, 2001, पृष्ठ 29
11. तेज सिंह, अम्बेडकरवादी साहित्य का समाजशास्त्र, किताब महल, नई दिल्ली, 2007, पृष्ठ .25
12. निरंजन कुमार, मनुष्यता के आईने में दलित साहित्य का समाजशास्त्र, अनामिका पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीट्यूटर्स, नई दिल्ली, 2010, पृष्ठ 22, 23